

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-26022021-225486
SG-DL-E-26022021-225486

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 2021/ फाल्गुन 4, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 338
No. 67]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 2021/ PHALGUNA 4, 1942	[N. C. T. D. No. 338

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

फा. सं. 23/एन.एफ.डी./टी. सी./फेलिंग/2020-21/11239-47.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली एम.आर.टी.एस प्रोजेक्ट फेज- I, नई दिल्ली मौजपुर से मजलिस पार्क कॉरिडोर के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 13.9198 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दिल्ली एम.आर.टी.एस प्रोजेक्ट फेज- I, नई दिल्ली मौजपुर से मजलिस पार्क कॉरिडोर के निर्माण हेतु ।	961	507	1468	14680
योग	961	507	1468	14680

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

1. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 8,36,76,000/- रुपये (आठ करोड़ छत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (1468 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षों का दस गुना) अर्थात् 14680 पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया जाएगा।	14680	8,36,76,000/-	उप- वन संरक्षक (उत्तर)/ वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 961 वृक्षों का प्रत्यारोपण जो साइट पर खड़े हैं, उसी स्थान पर उपलब्ध भूमि में किया जाएगा। जिसमें प्रतिपूरक वृक्षारोपण साइट्स शामिल हैं।			

प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए साइटों का विवरण इस प्रकार है:

बागवानी प्रभाग.-5, सहायक निदेशक श्री सतेंद्र, मोबाइल:- +91 9871012108					
क्रमांक	योजना का नाम	संदर्भ	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	भू निर्देशांक	
				अक्षांश	देशान्तर
1.	एम / ओ ग्रीन बेल्ट सेक्टर -28, भाग- I	80 मीटर रोड के पास रोहिणी।	400	28.75288	77.09243
2.	ग्रीन बेल्ट, सेक्टर -11 (एक्सटेंशन) रोहिणी		200	28.73311	77.10567
3.	पार्क सेक्टर -25।	शाहाबाद डेयरी	200	28.737158	77.095216
4.	ग्रीन बेल्ट सेक्टर -25, रोहिणी	सी.एन.जी. पंप के पास।	500	28.728663	77.098000
5.	ग्रीन बेल्ट सेक्टर -32, रोहिणी. भाग -II		400	28.742500	77.090944
6.	ग्रीन बेल्ट सेक्टर -32, रोहिणी. भाग -I		700	28.740395	77.076726
7.	ग्रीन बेल्ट सेक्टर -32	60 और 80 मीटर चौड़ी सड़क के साथ।	600	28.738365	77.081602
8.	ग्रीन बेल्ट सेक्टर -36	100 मीटर रोड के पास	400	28.075418	77.057227
9.	ग्रीन बेल्ट रोड सेक्टर -32	30 मीटर चौड़ी सड़क 60 मीटर तक	500	28.747208	77.066084
10.	ग्रीन बेल्ट सेक्टर -36	हेलीपैड के पीछे	250	28.751724	77.061189
11.	ग्रीन बेल्ट सेक्टर --37, रोहिणी	पॉकेट B-03 के पास	1700	20.740094	77.060108
12.	ग्रीन बेल्ट सेक्टर -36, रोहिणी.	हेलीपैड के मध्य 30 मीटर से 60 मीटर सड़क	600	28.747576	77.063562
13.	ग्रीन बेल्ट सेक्टर --37, रोहिणी	100 मीटर के साथ	863	28.751128	77.054874
14.	टोटलॉट पॉकेट -2, ब्लॉक-ए, सेक्टर -36, रोहिणी		241	28.75171	77.068473
15.	टोटलॉट पॉकेट, ब्लॉक-ए, सेक्टर -36, रोहिणी		570	28.749882	77.066065
16.	टोटलॉट पॉकेट -बी., सेक्टर -36, रोहिणी		300	28.751425	77.064606
17.	टोटलॉट पॉकेट I, ब्लॉक-सी., सेक्टर -36, रोहिणी		739	28.755702	77.063902
18.	टोटलॉट पॉकेट -2, ब्लॉक-सी, सेक्टर -36, रोहिणी		700	28.753599	77.06409
19.	ग्रीन बेल्ट सेक्टर --37, रोहिणी	विपरीत 60 मीटर हेलीपैड के पास	3190	28.745533	77.061103
20.	ग्रीन बेल्ट और टोटलॉट पार्क, पॉकेट- एI सेक्टर --37, रोहिणी		306	28.743649	77.063632
21.	टोटलॉट पार्क पॉकेट -बी.-3, सेक्टर -37, रोहिणी		310	28.744857	77.059995
22.	टोटलॉट पार्क पॉकेट -सी-I, सेक्टर -37.		311	28.744976	77.058049
बागवानी प्रभाग.-6, संबन्धित उप निदेशक श्री राज पाल, मोबाइल:- +91 9599927245.					

23.	मास्टर प्लान ग्रीन सिरी फोर्ट चरण-I	रिशाल वाला	250	28.3248	77.1251
24.	मास्टर प्लान ग्रीन सिरी फोर्ट चरण-II.		250	28.325	77.1379
25.	मास्टर प्लान ग्रीन सिरी फोर्ट चरण-III.		250	28.3249	77.1332
26.	मास्टर प्लान ग्रीन सिरी फोर्ट चरण-IV.		250	28.338	77.133
27.	मास्टर प्लान ग्रीन लाडो सराए, चरण-II.		200	28.52139	77.1957
28.	नवनियुक्त क्षेत्र लाडो सराय	125.50 एकड़	200	28.51437	77.18924
29.	मास्टर प्लान ग्रीन लाडो सराए, चरण-I.	तारा वाला	250	28.52558	77.1898
30.	विजय मंडल से जुड़ी योजना- बेगम पुर	संपूर्ण	300	28.53602	77.20434
31.	पार्क, पुल प्रहलादपुर चरण-I पर		200	28.50272	77.2861274
32.	तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक परिसर क्षेत्र-III, चरण-I		200	28.50831	77.2671029
33.	शूटिंग रेंज से हरियाणा बॉर्डर, तुगलकाबाद के मध्य का क्षेत्र	122 एकड़	200	28.19753	77.267198
34.	फ्लाईओवर डिफेंस कॉलोनी के तहत क्षेत्र		200	28.58268	77.238
35.	जिला पार्क सतपुला झील	चिराग दिल्ली और खिरकी गांव के पास	200	28.53644	77.2261271

बागवानी प्रभाग.-2,**संबन्धित उप निदेशक****श्री सलेख शर्मा, मोबाइल:- +91 9810999845.**

36.	ग्रीन बेल्ट मंगोल पुरी		200	28.6854249	77.0973577
37.	जिला उद्यान, सी.एच.बी.एस. पीतमपुरा	संजय वन	200	28.6896167	77.0973577
38.	जिला उद्यान, मुल्तान नगर।		200	28.6797805	77.1038805
39.	ग्रीन बेल्ट आर.एस.पी., टिकरी कलां	पी.वी.सी. बाज़ार	1500	28.6723147	76.9687412
40.	जोनल ग्रीन अशोक विहार चरण-IV		200	28.6861802	77.1719215
41.	जिला पार्क, अशोक विहार, चरण-III.	बाबा खिमन सिंह	200	28.689225	77.176677
42.	पार्क, पिकनिक हट, अशोक विहार, चरण-III		200	28.689493	77.181466
43.	पार्क अशोक विहार चरण-IV	अशोक गार्डन	2180	28.6960288	77.1767646
		Total	21810		

- उपरोक्त 1 (क) व (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 14680 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वृक्षारोपण और प्रत्यारोपण के लिए जिम्मेदार होगा। इन स्थितियों में से किसी भी विचलन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिम्मेदार होगा।
- 1468 वृक्षों को काटे/ प्रत्यारोपण किए जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 14680 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उपभोगी संस्था द्वारा रखरखाव किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में वृक्ष अधिकारी (उत्तर) को प्रस्तुत किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटे / प्रत्यारोपण शुरू करने से पहले साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगी।
- उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत की जाएगी।
- उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।
- अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छः महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
- उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

13. वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।
14. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों का प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली काष्ठ को सार्वजनिक श्मशान में 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
16. उपभोगी संस्था द्वारा 507 वृक्षों को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा। वृक्षों की अनुमति 961 वृक्षों के सफल प्रत्यारोपण और उप-वन संरक्षक (उत्तर) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी।
17. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षों की कटाई से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।
18. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (उत्तर) को भी दी जाएगी।
20. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (उत्तर) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
21. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।
22. उपभोगी संस्था द्वारा 1468 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की प्रत्यारोपण/ कटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत एक अपराध होगा।
23. वृक्षों को हटाने की अनुमति से पूर्व उप-वन संरक्षक (उत्तर) द्वारा पाया गया वृक्ष संबंधी अपराध (दो मामलों में) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / उपभोगी संस्था द्वारा उपयुक्त रूप से निराकरण कराया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd February, 2021

F. No. 23/NFD/TC/Felling/2020-21/11239-47.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 13.9198 ha. as detailed below for construction of Maujpur to Majlis Park corridor of Delhi MRTS Project Phase-I, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of tree saplings)
	Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Construction of Maujpur to Majlis Park corridor of Delhi MRTS Project Phase-I, New Delhi.	961	507	1468	14680
Total	961	507	1468	14680

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. **8,36,76,000** /- (Rupees Eight Crore Thirty Six Lakh Seventy Six Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplant of 1468 trees i.e., number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar, Arjun etc. along with other native species by DDA on behalf of DMRC as mentioned in below table.	14680	8,36,76,000 /-	Deputy Conservator of Forests (North)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 961 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency in the same site where sufficient space are available including given in CP sites.			

The details of sites for compensatory plantation are as follows:-

Horticulture Division.-5, Assistant Director Mr. Satender, Mob. No. 9871012108					
S.No.	Name of Scheme	Reference	Trees	Geo Coordinates	
				Latitude	Longitude
1.	M/O Green Belt Sector-28, Pt.I	Near 80 mtr. Road Rohini	400	28.75288	77.09243
2.	Green Belt at Sector-11, (Ext.) Rohini		200	28.73311	77.10567
3.	Park Sec-25	Shahabad Dairy	200	28.737158	77.095216
4.	Green Belt Sector-25, Rohini	Near CNG Pump.	500	28.728663	77.098000
5.	Green Belt Sector-32, Rohini. Part-II		400	28.742500	77.090944
6.	Green Belt Sector-32, Rohini. Part-I		700	28.740395	77.076726
7.	Green Belt Sector-32	Along 60 and 80 mtr. Wide road.	600	28.738365	77.081602
8.	Green Belt Sector-36	Near 100 mtr Road	400	28.075418	77.057227
9.	Green Belt Road Sector-32	30 mtr wide road to 60 mtr.	500	28.747208	77.066084
10.	Green Belt Sector-36	Behind Helipad	250	28.751724	77.061189
11.	Green Belt Sector-37, Rohini	Near Pkt.B-03.	1700	20.740094	77.060108
12.	Green Belt at Sector-36, Rohini.	Between 30 mtr to 60 mtr road helipad	600	28.747576	77.063562
13.	Green Belt Sector-37, Rohini	Along 100 mtr R/W	863	28.751128	77.054874
14.	Totlot at Pkt-2, Block-A, Sector-36, Rohini.		241	28.75171	77.068473
15.	Totlot at Pkt, Block-A, Sector-36, Rohini.		570	28.749882	77.066065
16.	Totlot at Pkt-B, Sector-36, Rohini.		300	28.751425	77.064606
17.	Totlot at Pkt-I, Block-C, Sector-36, Rohini.		739	28.755702	77.063902
18.	Totlot at Pkt-2, Block-C, Sector-36, Rohini.		700	28.753599	77.06409
19.	Green Belt Sector-37, Rohini.	Near 60 m opposite helipad.	3190	28.745533	77.061103
20.	Green Belt and totlot park at Pocket-A1, Sector-37, Rohini.		306	28.743649	77.063632
21.	Totlok park at Pkt.-B-3, Sector-37, Rohini.		310	28.744857	77.059995
22.	Totlok park at Pkt.-C-I, Sector-37.		311	28.744976	77.058049
Horticulture Division.-6, Concerned Deputy Director Mr. Raj Pal, Mob. No. 9599927245.					

23.	Master Plan Green Siri Fort Phase-I.	Rishal Wala	250	28.3248	77.1251
24.	Master Plan Green Siri Fort Phase-II.		250	28.325	77.1379
25.	Master Plan Green Siri Fort Phase-III.		250	28.3249	77.1332
26.	Master Plan Green Siri Fort Phase-IV.		250	28.338	77.133
27.	Master Plan Green Lado Sarai, Ph-II.		200	28.52139	77.1957
28.	Newly cleared area Lado Sarai.	125.50 Acres	200	28.51437	77.18924
29.	Master Plan Green Lado Sarai, Ph-I.	Tara Wala	250	28.52558	77.1898
30.	Scheme attached to Vijay Mandal-Begum Pur.	Completed	300	28.53602	77.20434
31.	Park at Pul Prehladpur Ph-I.		200	28.50272	77.2861274
32.	Tughlakabad Recreational Complex Zone-III, Ph-I.		200	28.50831	77.2671029
33.	Area between Shooting Range to Haryana Border, Tughlakabad	122 Acre	200	28.19753	77.267198
34.	Area under Flyover Defence Colony.		200	28.58268	77.238
35.	District Park Satpula Lake.	Near Chirag Delhi & Khirki Village.	200	28.53644	77.2261271
Horticulture Division.-2, Concerned Deputy Director Mr. Salekh Sharma, Mob. No. 9810999845.					
36.	Green Belt Mangol Puri		200	28.6854249	77.0973577
37.	District Park, C.H.B.S. Pitampura.	Sanjay Van	200	28.6896167	77.0973577
38.	District Park, Multan Nagar.		200	28.6797805	77.1038805
39.	Green Belt RSP, Tikri Kalan.	P.V.C. Market	1500	28.6723147	76.9687412
40.	Zonal Green Ashok Vihar, Ph.-IV.		200	28.6861802	77.1719215
41.	District Park, Ashok Vihar, Ph.III.	Baba Khimman Singh	200	28.689225	77.176677
42.	Park at Picnic Hut, Ashok Vihar, Ph.III		200	28.689493	77.181466
43.	Park Ashok Vihar Ph.IV.	Ashok Garden	2180	28.6960288	77.1767646
		Total	21810		

- 100% Compensatory Plantation of 14680 saplings of native species shall be raised and maintained by the DDA on behalf of DMRC for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above. However ensuring Compensatory Plantation and transplantation shall be responsible of DMRC. For any deviation from these conditions DMRC shall be responsible.
- Plants saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation/ felling of 1468 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out thereafter, by user agency with their own funds.
- The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
- The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
- Detailed plantation schedule shall be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 before initiating transplantation/ felling.
- The User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation before initiating transplantation/ felling.
- The User Agency shall maintain plantation journal as prescribed by the Department of Forest and Wildlife, GNCTD and a copy of the same may be submitted at end of each financial year.
- The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation sites.
- Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
- All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.

12. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.
13. Permission for transplantation/ felling of all trees is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
14. Before the transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
15. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising therefrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.
16. The transplantation shall be carried out prior to felling of 507 nos. of trees permitted herein. The 507 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 961 trees and submission of compliance certificate to Deputy Conservator of Forests (North).
17. The user agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling of trees.
18. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
19. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (North) by User Agency.
20. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (North) by User Agency.
21. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.
22. Transplantation/ felling of any tree apart from 1468 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
23. Tree offences (two nos.) detected by DCF (North) shall be resolved/ compounded by DMRC/ User Agency before tree removal permission.

By Order and in the Name of the
Government of National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)